

Panaji, 13th May, 2019 (Vaisakha 23, 1941)

SERIES II No. 6

OFFICIAL GAZETTE



GOVERNMENT OF GOA

PUBLISHED BY AUTHORITY

EXTRAORDINARY

No. 3

GOVERNMENT OF GOA

Department of Elections

Office of the Chief Electoral Officer

—
Direction

No. 5-38-2019/ELEC/1086

The following Direction No. 576/3/EVM/2019/SDR-Vol.I dated 9th May, 2019 issued by the Election Commission of India, New Delhi, is hereby published for general information.

Narayan Sawant, Addl. Chief Electoral Officer.

Panaji, 10th May, 2019.

—————
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi - 110001.

Dated: 9th May, 2019.

Direction

No. 576/3/EVM/2019/SDR-Vol.I

1. Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be

attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 11-Panaji Assembly Constituency in the State of Goa, 116-Sulur, 134-Aravakurichi, 195-Thiruparankundram & 217-Ottapidaram (SC) Assembly Constituencies in the State of Tamil Nadu, 42-Chincholi (SC) and 70-Kundgol Assembly Constituencies in the State of Karnataka, 89-Agra Assembly Constituency in State of Uttar Pradesh and 23-Darjeeling, 29-Islampur, 68-Kandi, 74-Nowda, 43-Habibpur (ST) & 105-Bhatpara Assembly Constituencies in the State of West Bengal, in which bye-elections are currently in progress, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and Printer for Paper Trail and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines and the said Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies 11-Panaji Assembly Constituency in the State of Goa, 116-Sulur, 134-Aravakurichi, 195-Thiruparankundram & 217-Ottapidaram (SC) Assembly Constituencies in the State of Tamil Nadu, 42-Chincholi (SC) and 70-Kundgol Assembly Constituencies in the State of Karnataka, 89-Agra Assembly Constituency in State of Uttar Pradesh and 23-Darjeeling, 29-Islampur, 68-Kandi, 74-Nowda, 43-Habibpur (ST)

& 105-Bhatpara Assembly Constituencies in the State of West Bengal, as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the States Legislative Assemblies of Goa, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh & West Bengal from the said constituencies, notified on 22-4-2019, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from to time on the subject.

5. The Commission also hereby approves the design of the Electronic Voting Machine and the Printer with the drop box (VVPAT) as developed by the Bharat Electronic Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said voting machines, to be used for the giving and recording of votes in the above said Assembly Constituencies.

By Order,

K. F. Wilfred,
Sr. Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-११०००१
दिनांक: ९ मई, २०१९.

निदेश

सं. ५७६/३/ईवीएम/२०१९/एसडीआर/खण्ड-I

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ६१क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीती से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

२. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ के नियम ४९क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्रॉप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

३. यतः, आयोग ने गोवा में ११-पणजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में ११६-सुलुर, १३४-अरावाकुरिची, १९५-थिरुपारानकुन्दरम एवं २१७-ओट्टापिदारम (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक में ४२-चिन्वोली (अ.जा.) एवं ७०-कुण्डगोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश में ८९-आगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में २३-दार्जिलिंग, २९-इस्लामपुर, ६८-कंडी, ७४-नावदा, ४३-हबीबपुर (अ.ज.जा.) एवं १०५-भाटपाडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें वर्तमान में उप-निर्वाचन चल रहे हैं, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर उपलब्ध है, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा उक्त प्रिंटर्स की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है।

४. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की उक्त धारा ६१क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ के नियम ४९क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा ११-पणजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में ११६-सुलुर, १३४-अरावाकुरिची, १९५-थिरुपारानकुन्दरम एवं २१७-ओट्टापिदारम (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक में ४२-चिन्वोली (अ.जा.) एवं ७०-कुण्डगोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश में ८९-आगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में २३-दार्जिलिंग, २९-इस्लामपुर, ६८-कंडी, ७४-नावदा, ४३-हबीबपुर (अ.ज.जा.) एवं १०५-भाटपाडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें २२-०४-२०१९ को उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अधिसूचित किए गए संबंधित गोवा, तमिलनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चालू उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ के अधीन निर्धारित रीती से तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकार्ड किए जाएंगे।

५. आयोग एतद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कांफ़िगुरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर, जिसे उक्त वोटिंग मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है जिनका उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

आदेश से,

के. एफ. विल्फ्रेड,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

www.goaprintingpress.gov.in

Printed and Published by the Director, Printing & Stationery,
Government Printing Press,
Mahatma Gandhi Road, Panaji-Goa 403 001.

PRICE – Rs. 2.00

PRINTED AT THE GOVERNMENT PRINTING PRESS, PANAJI-GO—52/160—5/2019.